# न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

## समक्ष : मनोज गोयल,
## अध्यक्ष

निगरानी प्रकरण कमांक 195–पीबीआर/2016 विरूद्ध आदेश दिनांक 08–01–2016 पारित द्वारा न्यायालय अपर आयुक्त इंदौर संभाग इंदौर के प्रकरण कमांक 385/अपील/2014–15

.....

1–हिकमतउल्ला पिता अजीजउल्ला
2–हशमतउल्ला पिता हमीदउल्ला
3–बरकतउल्ला पिता हमीदउल्ला
4–इनायतउल्ला पिता हमीदउल्ला
सभी निवासी मोहल्ला खानका शहर,
तहसील व जिला बुरहानपुर म0प्र0

..... आवेदकगण

विरूद्ध

1–मोतीउल्ला पिता हमीदउल्ला
2–शफीउल्ला पिता हमीदउल्ला
दोनों निवासी मोहल्ला खानका शहर,
तहसील व जिला बुरहानपुर म0प्र0

..... अनावेदकगण

.....

श्री के0के0द्विवेदी, अभिभाषक–आवेदकगण

श्री विनोद सुगंधी, अभिभाषक–अनावेदक कमांक 1

.....

## :: आ दे श ::

( आज दिनांकः 15/9/16 को पारित )

यह निगरानी आवेदकगण द्वारा मध्यप्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 ( जिसे आगे संक्षेप में केवल "संहिता" कहा जायेगा ) की धारा 50 के अंतर्गत अपर आयुक्त इंदौर संभाग इंदौर द्वारा पारित आदेश दिनांक 8–1–2016 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण के तथ्य सन्क्षेप में इस प्रकार है कि अनावेदक कमांक 1 द्वारा तहसीलदार खकनार के समक्ष संहिता की धारा 250 के अन्तर्गत इस आशय का

आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया कि ग्राम नादखेड़ा तहसील खकनार स्थित भूमि सर्वे कमांक 124/2 रकबा 1.960 हेक्टेयर उसके स्वामित्व की भूमि है, उसके द्वारा दिनांक 12–5–2014 को सीमांकन कराये जाने पर ज्ञात हुआ कि उक्त भूमि पर आवेदकगण का कब्जा है, अतः कब्जा दिलाये जाये । तहसीलदार द्वारा प्रकरण कमांक 5/अ–70/2013–14 दर्ज कर दिनांक 30–12–2014 को आदेश पारित किया जाकर आवेदकगण को एक सप्ताह में कब्जा हटाने का आदेश दिया । यह भी निर्देशित किया गया कि आवेदकगण द्वारा कब्जा नहीं हटाये जाने पर कार्यवाही की जाकर कब्जा अनावेदक कमांक 1 को दिलाया जायेगा जिसके लिये आवेदकगण जबाबदार होंगे । तहसीलदार के आदेश के विरूद्ध प्रथम अपील प्रस्तुत किये जाने पर अनुविभागीय अधिकारी द्वारा दिनांक 29–5–2015 को आदेश पारित कर तहसीलदार का आदेश स्थिर रखा जाकर अपील निरस्त की गई । अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरूद्ध द्वितीय अपील अपर आयुक्त के समक्ष प्रस्तुत की गई और अपर आयुक्त द्वारा दिनांक 8–1–2016 को आदेश पारित कर द्वितीय अपील निरस्त की गई । अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ प्रकरण दिनांक 16–06–2016 को इस निर्देश के साथ आदेशार्थ सुरक्षित रखा गया था कि आवेदकगण के विद्वान अभिभाषक एक सप्ताह में लिखित तर्क प्रस्तुत करेंगे, परन्तु उनके द्वारा आज दिनांक तक लिखित तर्क प्रस्तुत नहीं किये गये, अतः प्रकरण का निराकरण निगरानीमेमों में उठाये गये आधारों एवं अनावेदक कमांक 1 के अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत लिखित तर्को पर विचार किया जा रहा है ।

4/ आवेदकगण के अधिवक्ता द्वारा निगरानी मेमों में निम्नलिखित आधार उठाये गये है :–

(1) अनावेदक कमांक 1 द्वारा तहसील न्यायालय में सीमांकन के आधार पर संहिता की धारा 250 के अन्तर्गत आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया, जबकि वास्तव में प्रश्नाधीन भूमि का सीमांकन नहीं हुआ है इसलिये तहसील न्यायालय में आवेदन पत्र प्रचलन योग्य नहीं है ।

(2) तहसील न्यायालय में राजस्व निरीक्षक एवं पटवारी के कथन नहीं कराये गये है और सीमांकन के संबंध में भी स्वतंत्र साक्षी के कथन नहीं कराये गये हैं, ऐसी स्थिति में तहसील न्यायालय द्वारा पारित आदेश विधि विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है ।

(3) अनावेदक कमांक 1 द्वारा तहसील न्यायालय में प्रस्तुत आवेदन पत्र में यह उल्लेख नहीं किया गया है कि आवेदकगण द्वारा किस दिनांक को और कब कब्जा प्राप्त किया गया है और प्रश्नाधीन भूमि के किस भाग पर किस किस व्यक्ति का कब्जा है, इस कारण भी आवेदकगण का आवेदन पत्र प्रचलन योग्य नहीं है ।

(4) तहसील न्यायालय द्वारा आवेदकगण को अनावेदक कमांक 1 के कथन का प्रतिपरीक्षण का अवसर नहीं दिया गया है और बिना आवेदकगण को अवसर दिये तहसील न्यायालय द्वारा गुणदोष पर आदेश पारित करने में अवैधानिकता की गई है।

(5) तहसील न्यायालय द्वारा पारित आदेश पूर्णतः वैधानिक आदेश है जिसकी अनुविभागीय अधिकारी एवं अपर आयुक्त द्वारा पुष्टि करने में किसी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं की गई है ।

5/ प्रतिउत्तर में अनावेदक कमांक 1 के विद्वान अधिवक्ता द्वारा लिखित तर्क में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये हैं :–

(1) अनावेदक कमांक 1 का अपनी भूमि का सीमांकन कराने का प्रयास किया गया है, परन्तु आवेदकगण द्वारा बलपूर्वक न तो अनोवदक को कब्जा सौंपा जा रहा है और न अनावेदक की भूमि का सीमांकन होने दिया जा रहा है ।

(2) अनावेदक कमांक 1 द्वारा विधिवत् तहसील न्यायालय में कब्जा दिलाये जाने बावत् आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है, परन्तु प्रकरण लंबित रखने के उद्देश्य से आवेदकगण द्वारा यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

(3) तीनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा विधि के प्रावधानों के समवर्ती निष्कर्ष निकाले गये हैं और जिसमें हस्तक्षेप का कोई आधार नहीं है और आवेदकगण द्वारा

यह नहीं बतलाया गया है कि तीनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा आदेश पारित करने में क्या अवैधानिकता की गई है ।

(4) आवेदकगण द्वारा उठाया गया यह आधार सही नहीं है कि संहिता की धारा 129 के अन्तर्गत सीमांकन की कार्यवाही ही नहीं होने से संहिता की धारा 250 के प्रावधान आकृष्ट नहीं होते हैं ।

6/ उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकों द्वारा प्रस्तुत तर्को के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया। तहसीलदार के आदेश को देखने से स्पष्ट है कि अनावेदक द्वारा अपनी भूमि का विधिवत् सीमांकन कराया गया है और उनकी भूमि पर आवेदकगण का अवैध कब्जा पाते हुये कब्जा दिलाये जाने हेतु संहिता की धारा 250 के अन्तर्गत तहसीलदार के समक्ष आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है और तहसीलदार द्वारा आवेदकगण को सुनवाई एवं पक्ष समर्थन का पर्याप्तं अवसर देते हुये प्रश्नाधीन भूमि पर आवेदकगण का अवैध कब्जा होने से अनावेदकगण को कब्जा सौंपे जाने आदेश देने में पूर्णतः वैधानिक एवं न्यायिक कार्यवाही की गई है और तहसीलदार के विधिसंगत आदेश की पुष्टि करने में अनुविभागीय अधिकारी एवं अपर आयुक्त द्वारा किसी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं की गई है । इस प्रकार तीनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा निकाले गये समवर्ती निष्कर्ष विधिसंगत होने से स्थिर रखे जाने योग्य है ।

7/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर आयुक्त इंदौर संभाग इंदौर द्वारा पारित आदेश दिनांक 8–1–2016 स्थिर रखा जाता है । निगरानी निरस्त की जाती है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश,
ग्वालियर